कार्यकारी सारांश

रिपोर्ट के बारे में

भारत के सीएजी की यह रिपोर्ट वर्ष 2023–24 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजट प्रयोजन के विरुद्ध प्रदर्शन, राजस्व और व्यय प्रक्षेपण, विविधताओं के कारण और उसका प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (प्रचलित भाव पर) 9.23 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2019–20 में ₹3,44,672 करोड़ से 2023–24 में ₹5,05,887 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022–23 की तुलना में 2023–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ 10.26 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022–23 में 20.21 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 20.46 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 18.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 17.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) 2022–23 में ₹98,691.19 करोड़ से 32.20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,30,471.85 हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2022–23 से 34.54 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2022–23 में राजस्व आधिक्य ₹8,592.11 करोड़ के मुकाबले 2023–24 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा ₹11,232.76 करोड़ था, जबकि राजकोषीय घाटा 2022–23 में ₹4,691.21 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹26,933.03 करोड़ हो गया, जो 474.12 प्रतिशत की वृद्धि है।

प्राप्ति–व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का अपना कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता और हस्तांतरण में अनुदान और गैर–ऋण पूँजी प्राप्तियाँ। राज्य शासन के व्यय में राजस्व खाते के साथ–साथ पूँजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) पर व्यय शामिल है।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक, राजस्व प्राप्तियाँ ₹63,868.70 करोड़ से 10.25 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर ₹1,03,508.20 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹261.61 करोड़ से घटकर ₹30.62 करोड़ हो गईं तथा ऋण प्राप्तियाँ ₹19,587.53 करोड़ से बढ़कर ₹54,049.72 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी 2019–20 में 21.31 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 10.72 प्रतिशत हो गई, जो भारत सरकार के समर्थन पर कम निर्भरता का संकेत है। राज्य शासन को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹8,217.62 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। 2019–20 और 2023–24 के बीच, राजस्व व्यय ₹73,477.37 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का

21.32 प्रतिशत) से बढ़कर ₹1,14,740.96 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.68 प्रतिशत) हो गया।

इस अवधि के दौरान इसने लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (86.42 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत) बनाया, जो 12.95 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2019–20 में ₹9,608.61 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.79 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹11,232.76 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.22 प्रतिशत) हो गया।

राज्य शासन ने पूँजीगत खाते पर ₹15,418.93 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2023–24 में कुल व्यय का 11.82 प्रतिशत था। वर्ष 2023–24 के दौरान, उधार ली गई धनराशि (₹67,412.52 करोड़) का 52 प्रतिशत का उपयोग पहले के उधार (₹34,929.59 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का केवल 48 प्रतिशत ही शेष रह गया।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर–ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2019–20 में ₹17,969.38 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.21 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹26,933.03 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.32 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर व्यय शामिल होते हैं। वर्ष 2019–20 और 2023–24 के बीच ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 39–50 प्रतिशत था। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019–20 में 44.85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 38.62 प्रतिशत हो गया।

प्रतिबद्ध व्यय के अलावा, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय वर्ष 2019–20 में 3.06 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 10.81 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, अनम्य व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान 35.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गैर–प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी

गैर–प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2022–23 में ₹8,306.28 करोड़ (राजस्व व्यय का 9.74 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹10,796.88 करोड़ (राजस्व व्यय का 9.41 प्रतिशत) हो गया। वर्ष 2023–24 के दौरान, ऊर्जा (55.88 प्रतिशत) और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (36.26 प्रतिशत) ने कुल सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बनाया।

ऑफ–बजट उधार

राज्य शासन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और *पैरास्टैटल्स* के माध्यम से, ऑफ–बजट उधार के रूप में ₹7,292.94 करोड़ (कुल बजट देनदारियों का 5.43 प्रतिशत) जुटाए, जो राज्य की समेकित निधि में प्रवाहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें बजट के माध्यम से पुर्नभुगतान और चुकाया जाना अपेक्षित है।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वर्ष 2023–24 के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि ₹31,662.88 करोड़ थी। जिसमें से 31 मार्च 2024 तक ₹21,890.52 करोड़ बकाया था।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, ऑफ–बजट उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी इत्यादि जैसे मैक्रो–राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय विसंगति का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय भी शामिल हैं जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधि में स्थानांतरण, स्थानीय निकायों को स्थानांतरण आदि के लिए प्रतिबद्धता से उत्पन्न होते हैं।

एफआरबीएम आवश्यकताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम/एमटीएफपीएस कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिसके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए, और इसी तरह पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गारंटी के लिए भी सीमाएं निर्धारित करता है। वर्ष 2023–24 में राजस्व घाटा 2.22 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 2.99 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 5.32 प्रतिशत था; समग्र देयता 23.81 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 24.93 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरता विश्लेषण के अनुसार, यह देखा गया है कि वर्ष 2021–22 और 2022–23 को छोड़कर, समग्र देनदारियों/ऋण में वृद्धि नाममात्र वृद्धि से अधिक रही और 2019–20 से 2023–24 तक इसमें तेजी से वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि राज्य को ऋण में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इसे नाममात्र वृद्धि के अनुरूप रखा जा सके। राज्य ने तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का उपयोग औसतन सालाना 1.5 महीने के लिए किया, जो दर्शाता है कि राज्य तरलता के मुद्दों से जूझ रहा था। इसके अलावा, राज्य, वर्ष 2019–20 को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों में वित्त आयोग द्वारा दिए गए सांकेतिक ऋण पथ के भीतर अपने ऋण–जीएसडीपी अनुपात को बनाए रखने में कामयाब रहा।

जैसा कि ऊपर की गई विश्लेषण और परिणामों के अनुसार, राज्य शासन ने अपने स्वयं के कर राजस्व को जुटाने में पन्द्रहवें वित्त आयोग और बजट अनुमानों की अपेक्षाओं को पार कर लिया, लेकिन अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित करेत्तर राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। महामारी से प्रभावित वर्ष 2020–21 को छोड़कर, राज्य ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए विचार किए गए अधिकांश संकेतकों ने पिछले पांच वर्षों में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि राज्य का ऋण– सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अस्थिर रहा।

बजट प्रदर्शन

कुल बजट परिणाम

बजटीय मंशा और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन (–)12.12 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 20 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, पाँच अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन 48.36 प्रतिशत था। यह 24 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 20 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत

से ± 50 प्रतिशत के बीच, 21 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन इस बात को भी देखता है कि किस हद तक निष्पादन के दौरान पुनः आवंटन मुख्य बजट श्रेणियों कि व्यय संरचना के विचरण में योगदान दिया है । यह माप अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है । राजस्व व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में विचलन (–)9.04 प्रतिशत था। यह 42 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 34.43 प्रतिशत था। यह 20 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 24 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 17 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि हालांकि विचलन वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ–साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच चार प्रतिशत से भी कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और अधिक विचलन था । इसके अलावा, यह भी देखा गया कि ऐसे अनुपूरक प्रावधान भी थे जहां व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया। एक विश्वसनीय बजट प्राणाली को इस तरह के विचलन से निपटने की आवश्यकता होनी चाहिए।

अनुदानों/विनियोगों से अधिकता का नियमितीकरण

राज्य सरकार के लिए संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1)(ख) के अनुसार यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित करवाए। यह देखा गया कि वर्ष 2023–24 में एक अनुदान और दो विनियोगों के तहत ₹18,228.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, वर्ष 2000–01 से 2022–23 के प्रावधान से ₹21,066.99 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली में वित्तीय लेखों, लेन–देन और उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो अनुपालन में कमी, कमज़ोर विनियमन और वास्तविक व्यय को साबित करने वाले लेखांकन विवरण या समायोजन विवरण के विलम्ब से मिलने से संबंधित समस्याओं को कवर करता है। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित समस्याओं जैसे देयताओं का कम या अधिक भुगतान, लेन–देन का गलत वर्गीकरण एवं सूचनाओं की कमी को भी उजागर करता है ।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक

अग्रिम राशि निकासी के लिए उपयोग किये गए संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (एसी) के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक (डीसी) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होने के बावजूद, दिसंबर 2024 की स्थिति में ₹3.44 करोड़ रुपये की राशि के 220 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुति के लिए लंबित थे। निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है, बल्कि अपव्यय/दुरुपयोग/दुराचार आदि की संभावना भी बढ़ जाती है।

मिलान

नियंत्रक अधिकारियों को अपने व्यय और प्राप्तियों का मिलान महालेखाकार की पुस्तकों में दर्ज व्यय के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2023–24 के दौरान 99.38 प्रतिशत प्राप्तियों और 97.31 प्रतिशत संवितरणों का मिलान किया गया।

लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकरण

यह देखा गया कि 43 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹6,099.05 करोड़ रुपये (कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.89 प्रतिशत) की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 26 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज ₹768.52 करोड़ रुपये (कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 0.59 प्रतिशत) के व्यय को 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। लघु शीर्ष–800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अस्पष्ट बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि को प्रकट नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) का अनुपालन

भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आईजीएएस–1: सरकार द्वारा दी गई गारंटी – प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, आईजीएएस–2: अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण करना और आईजीएएस–3: सरकार द्वारा किए गए ऋण और अग्रिम, का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया ।

व्यक्तिगत जमा खातों का परिचालन

31 मार्च 2024 तक की स्थिति में 130 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,352.90 करोड़ रुपये था। व्यक्तिगत जमा खातों में मौजूद अप्रयुक्त शेष को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से वित्तीय स्थिति में स्थिरता, संभावित लाभ से वंचित होना, समय के साथ क्रय शक्ति में कमी, निधियों की न्यूनतम वृद्धि आदि का जोखिम होता है।

एकल नोडल एजेंसी में राशि

भारत सरकार और राज्य शासन ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य शासन का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। 31 मार्च 2024 तक, राज्य शासन ने ₹8,514.85 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹8,609.09 करोड़ का राज्य हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹7,196.82 करोड़ रुपये बिना खर्च किए पड़े थे।

प्रचलित नियमों और सहिंता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए होता है। गैर–अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करता है। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुध विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न किया जाना; भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों का गैर–अनुपालन; एवं एकल नोडल खातों से व्यय की जानकारी की गैर–आपूर्ति से लेखाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

***